

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा चत्र्दश सत्र

अंक-01

रायप्र, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 29, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्टगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" एवं राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री चक्रधारी सिंह, पूर्व सांसद, लोकसभा, श्री भजन सिंह निरंकारी, पूर्व सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री अमरजीत भगत, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, श्री अरूण वोरा, सदस्य ने भी शोकोदगार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.20 बजे स्थगित की जाकर 11.31 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।) 3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 63 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21,
- (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021,
- (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अविध के लिये),
- (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021,

- (5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 09 मई, 2022,
- (6) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-34/2021/32, दिनांक 09 मई, 2022,
- (7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21, तथा
- (8) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-34/सात-1/2021, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा अधिसूचित वृक्ष कटाई के नियम, 2022,

पटल पर रखे।

6. मार्च, 2022 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 सत्र का दिनांक 22 मार्च, 2022 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 23, 24 एवं 25, मार्च, 2022 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

7. मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन मार्च, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

9. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमित प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

10.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्निलिखित सदस्यों को सभापित तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

- (1) श्री सत्यनारायण शर्मा
- (2) श्री धनेन्द्र साह्
- (3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
- (4) श्री शिवरतन शर्मा
- (5) श्री बघेल लखेश्वर

<u>11.व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है। पंचायत मंत्री ने एक पद से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री जी को लिखा गया पत्र सार्वजनिक हुआ जिसमें मंत्री जी ने सरकार के ऊपर आरोप लगाये। मंत्रिमण्डल कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति जवाबदेह है। मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दें और विधानसभा के पटल पर यह बात आनी चाहिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये तथा कथन किया कि इसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जब तक स्पष्टीकरण न आ जाये तब तक सदन को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय ने कथन किया कि शून्यकाल में संक्षेप में चर्चा की अनुमति है । इस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था देने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि किस नियम के तहत यह व्यवस्था के प्रश्न में आता है ? किसी मंत्री का पत्र लिखना संवैधानिक संकट नहीं है । यदि किसी मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो वह व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा समाचार पत्र का उल्लेख किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि समाचार पत्रों के आधार पर मंत्री के इस्तीफ की चर्चा नहीं होनी चाहिये। विधानसभा सचिवालय के पास मंत्री के इस्तीफा स्वीकार करने की कोई सूचना नहीं है। इसलिये इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि यदि मंत्री जी उपस्थित रहते तो उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते । मंत्री जी सदन में नहीं हैं तथा मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य देने की मांग की ।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 20 एवं 21 जुलाई, 2022 को सभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की सूचना मुझे दी गई है । उनके द्वारा श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री को उनके विभागों से संबंधित कार्य को देखने के लिए अधिकृत किया गया है । अब इस बारे में बहस नहीं हो सकती ।

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.35 बजे स्थगित की जाकर 1.24 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य देने की मांग की ।

निरंतर व्यवधान होने के कारण अपराहन 01.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (आषाढ़-30, शक संवत् 1944) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा